धर्मपाल और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(सिविल अपील संख्या- 3501 /2008)

12 मई, 2008

[न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988- धारा 171 - घातक मोटर दुर्घटना- न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा पंचाट की गई 6 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज - संवर्द्धन हेतु दावा- निर्णित - संबंधित समय में, बैंक जमाओं पर ब्याज की प्रचलित दर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी- उसी को देखते हुए, मुआवजे की राशि पर पंचाट की गई ब्याज राशि 6 % प्रति वर्ष की दर से बढ़ाकर 7.5 प्रति वर्ष कर दिया गया।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठाया गया है, वह एक दुर्घटना में मारे गए मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को मुआवज़े स्वरूप पंचाट की गई राशि पर ब्याज की मात्रा के संबंध में हैं।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्णित किया-

1.1 मोटर वाहन अधिनियम, 1938 की धारा 171 के अनुसार इस अधिनियम के तहत मुआवज़े के लिए किए गए दावे को दावा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है, न्यायाधिकरण इसके अतिरिक्त निर्देश दे सकता है कि मुआवजे की राशि के अलावा

साधारण ब्याज का भुगतान भी ऐसी तारीख से ऐसी दर पर किया जाएगा जो दावा करने की तारीख से पहले की न हो। [पैरा 8] [198-बी, सी]

1.2 मुआवजा ब्याज की राशि रोके जाने के लिए है, जिसका भुगतान दावेदार को किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 171 के तहत कोई ब्याज दर तय नहीं की गई है और ब्याज की उक्त दर निर्धारित करने का कर्तव्य न्यायालय का है। [पैरा 10] [198-ई, एफ]

1.3 उक्त दर निर्धारित करने के लिए हम इस न्यायालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। हस्तगत मामले में ऐक्सीडेंट 1.9.2004 को हुआ एवं न्यायाधिकरण ने 18.5.2005 को पंचाट पारित किया था। जिस दर पर ब्याज दिया जाना है, वह साधारणतः सम्बंधित समय पर क्या बैंक दर प्रचलित है इस पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड के मामले को अप्रैल, 2005, में निर्णीत किया गया उस समय ब्याज की प्रचलित दर 7.5 % प्रति वर्ष पायी गयी। समान ब्याज दर देना उचित है, क्योंकि पंचाट पारित किए जाने की दिनांक आधार 18.05.2005 को समान ब्याज दर प्रचलित थी। नतीजतन, अपीलार्थी आवेदन की तारीख से देय तारीख तक 7.5 % दर पर ब्याज का भुगतान पाने के हकदार होंगे। [पैरा 10 और 14] [198-एफ, 200-सी, डी, ई]

तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम एस. राजप्रिया (2005) 6 एस. सी. सी. 236-पर निर्भर किया गया।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम केशव बहादुर (2004)2 एस. सी. सी. 370; कौश्रुमा बेगम (श्रीमती) और अन्य बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2001) 2 एससीसी 9; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पेट्रीसिया जीन महाज और अन्य (2002) 6 एस. सी. सी. 281; अबाती बेजबरूआ बनाम डिप्टी डायरेक्टर जनरल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य (2003) 3 एस. सी. सी. 148 संदर्भ में लिया गया है।

2. जहां तक मुआवजे में वृद्धि के संबंध में विवाद का सवाल है, इसे हमारे सामने नहीं रखा गया और परिणामस्वरूप अपील के ज्ञापन में उठाए गए मुआवज़े की मात्रा बढ़ाने की प्रार्थना खारिज की जाती है। [पैरा 15] [200-एफ, जी]

सिविल अपीलीय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 3501/ 2008

उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा आदेश (ए.ओ.) संख्या. 102/2007 के विरुद्ध की गई अपील में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांकित 22/3/2007 से।

अपीलार्थी के लिए - यूनुस मलिक, अभिषेक विकास, रवि किशोर और प्रशांत चौधरी।प्रत्यर्थी के लिए - संगीता कुमार और अश्विनी गर्ग।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. मुकुंदकम शर्मा, द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. वर्तमान अपील एक बहुत ही छोटे विवाद के इर्द-गिर्द घूमती है, अर्थात्, दुर्घटना में मरने वाले मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले मुआवजे के

ब्याज की मात्रा के संबंध में है। इससे पहले कि हम उस विवाद से निपटें जो हमारे विचार के लिए उठता है, हम उस तथ्यात्मक वर्णनों से निपटेंगे जिससे उपरोक्त विवाद उत्पन्न हुआ है।

3. मृतक प्रदीप कुमार अपनी पत्नी, दो नाबालिग बेटियों और एक नाबालिग बेटे के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था। जब वे मुजफ्फरनगर-रुड़की रोड पर गांव दादियाकी पहुंचे, तो कथित तौर पर बहुत तेज गति, उतावलेपन और लापरवाही से चल रही बस संख्या यूपी 15 एल 7640 ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना से मोटरसाइकिल पर सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी। दुर्घटना के तुरंत बाद बस का चालक बस को छोड़कर घटनास्थल से भाग गया। मृतक प्रदीप कुमार की उम्र 28 वर्ष थी और अपीलकर्ताओं के अनुसार वह प्रति माह 4,200/- रुपये कमाता था। अपीलकर्ताओं ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर के समक्ष याचिका संख्या 202/2004 संस्थित की। कई गवाहों से पूछताछ की गई। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधिकरण ने एक निर्णय सुनाया और मुआवजे के रूप मे अपीलकर्ताओं को 3,50,100/- रुपये और आवेदन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर से भुगतान किये जाने का पंचाट पारित किया । साक्ष्य पर विचार करने के बाद अधिकरण ने माना कि मृतक प्रति माह 2,400/- रुपये, न कि 4,200/- रुपये, जैसा कि दावा किया गया है, कमा रहा था । मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय, उत्तराखंड में अपील संख्या 102/2007 के तहत अपील

दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया कि यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और 4,200/- रुपये कमा रहा था और अधिकरण ने इसका निर्धारण करने में गलती की आवेदन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 100/- रुपये दिए जाएंगे। सबूतों पर विचार करने के बाद अधिकरण ने माना कि मृतक प्रति माह 2,400/- रुपये कमा रहा था, न कि 4,200/- रुपये, जैसा कि दावा किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में 2007 की अपील संख्या 102 के तहत अपील दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया कि यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और 4,200/- रुपये कमा रहा था और ट्रिब्यूनल ने इसका निर्धारण करने में गलती की आवेदन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 100/- रुपये दिए जाएंगे। सबूतों पर विचार करने के बाद ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक प्रति माह 2,400/- रुपये कमा रहा था, न कि 4,200/- रुपये, जैसा कि दावा किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में 2007 की अपील संख्या 102 के तहत अपील दायर की, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया कि यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि मृतक राजमिस्त्री का काम करता था और 4,200/- रुपये कमा रहा था और अधिकरण ने मृतक की आय का निर्धारण करने में गलती की इस अनुमान पर कि राजमिस्त्री का काम

प्रतिदिन उपलब्ध नहीं होता है। उक्त अपील में दिए गए ब्याज के संबंध में भी चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया था कि अधिकरण द्वारा तय ब्याज दर कम थी और अधिकरण को अधिक ब्याज दर देनी चाहिए थी।

4. प्रतिवादी - यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी एक अपील दायर की थी जिसे अपील संख्या 386/2005 के रूप में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया क्योंकि विचार के लिए उठाए गए विवादक समान थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार किया और प्रतिवादी - यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को इस हद तक स्वीकार किया की प्रदीप कुमार की मृत्यु के लिए अधिकरण द्वारा दिए गए 3,51,100/- रुपये के बजाय अपीलकर्तागण 3,70,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के हकदार है। जहां तक ब्याज दर का सवाल है, उच्च न्यायालय ने भी ब्याज को 6% प्रति वर्ष पर बरकरार रखा है जिसे अधिकरण ने यह अभिकथित करते हुए सुनाया था कि उक्त ब्याज दर में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य सड़क परिवहन निगम को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि दो माह के भीतर सहित ब्याज अधिकरण में जमा कराने का निर्देश दिया।

5. अपीलकर्तागण द्वारा अब इस न्यायालय में मुआवजे की मात्रा के संबंध में और साथ ही अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज दर के संबंध में अपील दायर की है।

6. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बहस के समय हमारे सामने निष्पक्ष रूप से कथन किया कि वह केवल ब्याज के संबंध में अपनी दलीलें आगे बढ़ाएंगे और अपील के ज्ञापन में की गई प्रार्थनाओं के संदर्भ में मुआवजे की मात्रा बढ़ाने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहते।

7. तदनुसार, हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को केवल अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज दर में वृद्धि के मुद्दे के संबंध में सुना, जो कि 6% प्रति वर्ष के रूप में दिया और बनाए रखा गया है। अपीलकर्ताओं के वकील ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि ब्याज दर में वृद्धि के ऐसे दावे के लिए इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त संख्या में मामले तय किए गए हैं और इस प्रकृति के कुछ मामलों में दावे पर विचार करते हुए इस न्यायालय द्वारा लगातार 9% प्रति वर्ष ब्याज दर प्रदान की गई है। प्रतिवादी - यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के वकील ने कथन किया कि जहां तक ब्याज दर का सवाल है, यह वृद्धि का मामला नहीं है, क्योंकि बैंक जमा पर ब्याज की प्रचलित दर केवल 6.5% थी।

8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 171 के अनुसार, जहां अधिनियम के तहत किए गए मुआवजे के दावे को दावा न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है, न्यायाधिकरण इसके अतिरिक्त निर्देश दे सकता है कि मुआवजे की राशि के अलावा साधारण ब्याज का भुगतान भी ऐसी तारीख से ऐसी दर पर किया जाएगा जो दावा करने की तारीख से पहले की न हो।

9. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम केशव बहादुर (2004) 2 एससीसी

370 में इस न्यायालय ने माना है कि मुआवज़े के अतिरिक्त ब्याज के भुगतान को अपेक्षित करने वाले प्रावधान पूर्व में ही अभिनिर्धारित किए जा चुके हैं । यद्यपी ही अभिव्यक्ति"हो सकता है" का उपयोग किया गया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज के प्रश्न पर अलग से विचार करने का न्यायाधिकरण का कर्तव्य बनता है। उक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि ब्याज के भुगतान का प्रावधान विवेकाधीन है और नियमों से बंधा हुआ नहीं है और न ही हो सकता है।

10. ब्याज धन की रोक या निरोध के लिए मुआवजा है, जिसका भुगतान दावेदार को किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 171 के तहत कोई ब्याज दर तय नहीं की गई है और ब्याज की ऐसी दर निर्धारित करने का कर्तव्य न्यायालय को दिया गया है। ऐसी दर निर्धारित करने के लिए हम इस न्यायालय द्वारा पिछले कुछ वर्षों में की गई टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। वर्ष 2001 में कौशनुमा बेगम (श्रीमती) और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2001) 2 एससीसी 9 के मामले में दी जाने वाली ब्याज दर के सवाल पर यह माना गया था कि पहले, 12% साधारण ब्याज की उचित दर पाई गई लेकिन अर्थव्यवस्था में बदलाव और भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के साथ ब्याज दर कम कर दी गई और अब राष्ट्रीयकृत बैंक एक वर्ष के लिए सावधि जमा पर 9% की दर से ब्याज देना है । तदनुसार, उक्त मामले में 9% की दर से ब्याज दिया गया। इस स्तर पर हम उपरोक्त निर्णय में उनके आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं जो

वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक हैं:

"24. अब, हमें ब्याज दर तय करनी होगी। धारा 171 एम.वी. अधिनियम अधिकरण को यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि 'मुआवजे की राशि के अलावा साधारण ब्याज का भुगतान भी ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से किया जाएगा जो दावा करने की तारीख से पहले न की हो जैसा कि इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।' पहले 12% साधारण ब्याज की उचित दर मानी जाती थी। अर्थव्यवस्था में बदलाव और भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के साथ ब्याज दर कम कर दी गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक अब एक साल की सावधि जमा पर 9% की दर से ब्याज दे रहे हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि यहां पहले तय की गई मुआवजा राशि पर अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दावे की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा..."

11. वर्ष 2002 में रिपोर्टेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम पेट्रीसिया जीन महाजन और अन्य (2002) 6 एससीसी 281 में इस न्यायालय ने माना कि ब्याज पीड़ित व्यक्ति को न्यायसंगत आधार पर देय है, जिस धन का उपयोग करने से वह वंचित हो गया हो उसे देय है। कौशनुमा बेगम (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों के बाद इस मामले में भी 9% की दर से ब्याज दिया गया। इसे इस प्रकार निर्णित किया गया:-

"हमारे विचार में कौशनुमा बेगम (सुप्रा) के मामले में बताया गया कारण

एक वैध कारण है और यह देखा जा सकता है कि ब्याज दर पहले से ही गिरावट पर है। इसलिए, हम ब्याज दर को घटाकर 9% कर देते हैं उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के अनुसार 12% के स्थान पर।"

12. वर्ष 2003 में अबाती बेजबरुआ बनाम डिप्टी डायरेक्टर , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य (2003) 3 एससीसी 148 में यह निर्णित किया गया था कि इस अदालत की राय में ब्याज दर क्या होनी चाहिए, यह सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ब्याज का प्रदान किया जाना आम तौर पर संबंधित समय पर प्रचलित बैंक दर पर निर्भर करेगा। उपर्युक्त निर्णयों का उल्लेख करने के बाद उक्त मामले में 9% की दर से ब्याज दिया गया।

13. हालाँकि, वर्ष 2005 में रिपोर्टेड तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड बनाम एस राजप्रिया (2005) 6 एससीसी 236 में इस न्यायालय ने बैंक जमा पर तत्कालीन प्रचलित ब्याज दर पर फिर से ध्यान देते हुए अधिकरण द्वारा निर्धारित 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर को कम करने का निर्देश दिया और उसे प्रति वर्ष 7.5% तक बदल दिया।

14. उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच कर सकते हैं। वर्तमान मामले में दुर्घटना 1.9.2004 को हुई थी और अधिकरण ने 18.5.2005 को फैसला सुनाया था। जिस दर पर ब्याज दिया जाना है वह आम तौर पर संबंधित समय पर प्रचलित बैंक दर पर निर्भर करेगा। चूंकि अप्रैल, 2005 के महीने में निर्णित, तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में बैंक जमा

पर ब्याज की प्रचलित दर 7.5% प्रति वर्ष तय की गई, हम समान ब्याज दर देना उचित मानते हैं, चूँकि वर्तमान मामले में पंचाट पारित होने की तिथि अर्थात् 18.05.2005 को ब्याज की प्रचलित दर वही थी। परिणामतः, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता आवेदन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 7.5% की दर से ब्याज का भुगतान करने के हकदार होंगे।

15. उपरोक्त निर्देशों और टिप्पणियों के संदर्भ में उपरोक्त दर पर ब्याज के भुगतान का निर्देश देते हुए अपील का निपटारा किया जाता है। जहां तक मुआवजे में वृद्धि के संबंध में विवाद का सवाल है, इसे खण्डपीठ के समक्ष नहीं रखा गया और परिणामस्वरूप अपील के ज्ञापन में उठाए गए मुआवज़े की मात्रा बढ़ाने की प्रार्थना खारिज की जाती है। मामले की परिस्थितियों में खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

एन जे

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास अचरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।